

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ. बजट-आवंटन-18/2015-

2.9.9 आवंटन

/कृ., पटना, दिनांक 31/3/2016

MAIL/FAX

प्रेषक,

प्रभु राम

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कृषि निदेशक,

बिहार, पटना।

विषय :

राज्य सरकार द्वारा धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य के उपर बोनस राशि की स्वीकृति के फलस्वरूप धान बीज उत्पादक किसानों को बोनस का लाभ देने हेतु बिहार राज्य बीज निगम को वर्ष 2014-15 के बकाया बोनस भुगतान हेतु वर्ष 2015-16 में 19799964.00 (एक करोड़ सन्तानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ चौंसठ) रु० सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं इसके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए ₹31,67,994 (एकतीस लाख सड़सठ हजार नौ सौ चौरानवे रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹31,67,994 (एकतीस लाख सड़सठ हजार नौ सौ चौरानवे रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1680 दिनांक-30.03.2016 द्वारा राज्य सरकार द्वारा धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य के उपर बोनस राशि की स्वीकृति के फलस्वरूप धान बीज उत्पादक किसानों को बोनस का लाभ देने हेतु बिहार राज्य बीज निगम को वर्ष 2014-15 के बकाया बोनस भुगतान हेतु वर्ष 2015-16 में 19799964.00 (एक करोड़ सन्तानवे लाख निन्यानवे हजार नौ सौ चौंसठ) रु० सहायक अनुदान की स्वीकृति इसके अधीन अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों के लिए ₹31,67,994 (एकतीस लाख सड़सठ हजार नौ सौ चौरानवे रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹31,67,994 (एकतीस लाख सड़सठ हजार नौ सौ चौरानवे रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

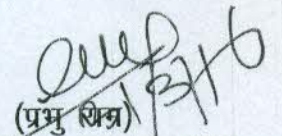
2. उपरोक्त ₹31,67,994 (एकतीस लाख सड़सठ हजार नौ सौ चौरानवे रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्यशीर्ष-00- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग संख्या-1 उपशीर्ष- 0117-बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड-P2401007890117, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 15 विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित एवं तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-5294 वि. (2) दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निदेशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी. भी. नं. के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन


(प्रभु राम)

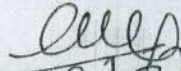
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 299 आवंटन

/क०, पटना, दिनांक 31/3/2016

- प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रशासन सह उपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 299 आवंटन

/क०, पटना, दिनांक 31/3/2016

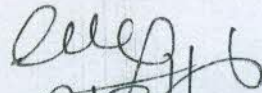
प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर/कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ निदेशक बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार पटना/निदेशक, पी.पी.एम., बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बीज ग्राम योजना, कृषि विभाग, बिहार पटना/ प्रभारी पदाधिकारी कृषि यांत्रिकरण कोषांग कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) /सभी उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र /सभी जिला कृषि पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक बिहार, राज्य बीज निगम/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रशासन सह उपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 299 आवंटन

/क०, पटना, दिनांक 31/3/2016

प्रतिलिपि :- उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रशासन सह उपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।